



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(महात्मा गांधी नरेगा, अनुभाग-3)



क्रमांक: एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./राजकाज-0057/2013 | 3623
जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

जयपुर, दिनांक

23 NOV 2022

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत Good Governance के तहत की गई पहल पर कार्यवाही के संबंध में।


संदर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 29.12.2017, 10.04.2018, 19.02.2020 एवं 03.02.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत Good Governance के तहत की गई निम्न पहल पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए थे। अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण जांच के दौरान पाया गया है कि Good Governance के तहत शामिल निम्न बिन्दुओं की पालना सुचारु रूप से नहीं की जा रही है :-

1. प्रत्येक कार्य स्थल पर स्थायी "नागरिक सूचना बोर्ड" लगाना,
2. प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 7 mandatory रजिस्ट्रर का संधारण करना,
3. प्रत्येक कार्य स्थल पर तथा ग्राम पंचायत मे कार्य की पत्रावली का संधारण,
4. नए जॉब कार्ड जारी करना तथा इनका नवीनीकरण, अद्यतन तथा सत्यापन करना,


संदर्भित पत्रों द्वारा दिए निर्देशों के अनुसार उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। प्रत्येक कार्य स्थल पर स्थायी नागरिक सूचना बोर्ड तथा जॉब कार्ड सत्यापन व अद्यतन की सुनिश्चितता के संबंध में भी ग्राम पंचायतवार प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला स्तर से ईकजाई प्रमाण पत्र दिनांक 23.11.2022 से पूर्व (संलग्न प्रारूप में) भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(शिवाजी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।


परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

कार्यालय जिला कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा

जिला.....

प्रमाणित किया जाता है कि जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप निम्न कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है :-

1. प्रत्येक कार्यस्थल पर स्थायी "नागरिक सूचना बोर्ड" लगाना,
2. प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 7 मैनेडिटर रजिस्टर का संधारण करना,
3. प्रत्येक कार्यस्थल पर तथा ग्राम पंचायत में कार्य की पत्रावली का संधारण,
4. नये जॉबकार्ड जारी करना तथा इनका नवीनीकरण, अद्यतन तथा सत्यापन करना,
5. ग्राम पंचायतवार लेखा नियमों के अनुरूप रिकॉर्ड का संधारण

दिनांक

जिला कलेक्टर सह जिला
कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा
गांधी नरेगा

जिला.....